छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

स्कूल भू–खण्ड हेतु आवेदन पत्र

फोटो

संस्था का नाम .....

रसीद क्रमांक ..... दिनांक ..... रु.2000.00 का भुगतान प्राप्त कर प्रदाय किया जाता है।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–.....

प्रति,

संपदा अधिकारी,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–.....

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में शैक्षणिक प्रयोजन हेतु भू–खण्ड आबंटन के लिए ऑफर पत्र।

संदर्भः– आपका ज्ञापन दिनांक .....

––000––

महोदय,

उक्त प्रयोजन के लिए आरक्षित भू–खण्ड (..... वर्ग मी.) के निर्धारित नियम व शर्ते हमने पढ़ ली है तथा स्थल निरीक्षण भी कर लिया है, जो कि हमें मान्य है। हमारा ऑफर पत्र विवरण निम्नानुसार है :–

1. विज्ञापित ऑफसेट मूल्य रु...../– शब्दों में .....
   .....

हमारा प्रस्तावित ऑफर दर अंकों में रु.	
शब्दों में रु.	

2. धरोहर राशि रु. ...../– बैंक का नाम .....
   डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक .....
   (डी.डी. पृथक लिफाफे में संलग्न कर प्रस्तुत है।)

हमारे द्वारा मण्डल की निर्धारित नियम एवं शर्ते पढ़/समझ ली गई है, व समय–समय पर संशोधित निर्धारित नियम एवं शर्ते भी हमें मान्य है, आवेदन पत्र, फोटो आदि मण्डल नियमानुसार प्रस्तुत है। हमारी संस्था मण्डल से क्रय करने हेतु निर्धारित पात्रता रखती है। अतः हमारे द्वारा प्रस्तुत ऑफर पत्र स्वीकृत करने की कृपा करें।

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम .....
पिता/पति का नाम.....
दूरभाष क्र. .....

1. संस्था का नाम एवं पूर्ण पता (स्थानीय) :– .....
2. पंजीकृत कार्यालय का पूर्ण पता :– .....
3. दूरभाष क्रमांक :– .....
4. संस्था का पंजीयन क्र. एवं दि. (सत्यापित) प्रति संलग्न करें। :– .....
5. संस्था के प्रमुख का नाम एवं पूर्ण पता :– .....
6. संस्था के संचालक संदस्यों की संख्या नाम, पद, पता इत्यादि सहित सूचि संलग्न करें। :– .....
7. संस्था के सदस्यों की संख्या :– .....
8. संस्था द्वारा संचालित शालाओं की संख्या (आवश्यकता होने पर अलग शीट संलग्न करें।) :– .....

क्र.	शाला का नाम एवं पूर्ण पता	निजी भवन अथवा किराए का है	शिक्षको की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5

संस्था द्वारा अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

.....

पूर्ण नाम .....

पद मुद्रा .....

प्रमाणित किया जाता है कि मण्डल के समस्त नियम एवं शर्ते पढ़ ली है तथा वे पूर्णतः स्वीकार है।

स्थान .....

दिनांक .....

संस्था द्वारा अधिकृत आवेदक के

हस्ताक्षर .....

पूर्ण पता .....

पद मुद्रा .....

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :–

1. संस्था के पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
2. संस्था के संचालक मण्डल की सत्यापित सूचि।
3. संस्था के नियमावली की सत्यापित प्रति।
4. संस्था की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अधिकार देने के अधिकार पत्र की सत्यापित प्रति।
5. मण्डल द्वारा निर्धारित नियम व शर्तो पर स्कूल हेतु भू–खण्ड क्रय करने के संबंध में संस्था के संचालक मण्डल के संकल्प की सत्यापित प्रति।
6. अन्य विवरण यदि कोई हो तो।

संस्था द्वारा अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

.....

संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र.....

भू–खण्ड आबंटन की शर्ते

1. ऑफर पत्र के साथ तालिका में दर्शाए अनुसार धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर के नाम से देय हो, जमा करना होगा। बिना धरोहर राशि के ऑफर पत्र स्वीकार नही किए जाएगे।
2. ऑफर में प्राप्त उच्चतम ऑफर वाले व्यक्ति की ही प्रतिभूति राशि मण्डल अपने पास रखेगी व अन्य ऑफरकर्ताओं की राशि ऑफर खोलने के उपरांत वापस की जावेगी।
3. ऑफर में उच्चतम ऑफर का निर्णय 03 माह के अंदर प्रदान किया जावेगा व उक्त समय तक उच्चतम ऑफरकर्ता की राशि बिना ब्याज के मण्डल के पास जमा रहेगी।
4. ऑफर में भाग लेने के पूर्व स्थल का अवलोकन करें।
5. ऑफर स्वीकृति के उपरांत, ऑफर की राशि स्वीकृति आदेश जारी होने के 60 दिवस के अंदर जमा करनी होगी अन्यथा प्रतिभूमि राजसात कर ली जावेगी।
6. ऑफर स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार मण्डल के आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा व इसका कोई कारण नही बताया जाएगा।
7. रिक्त भू–खण्ड जैसा है जिस स्थिति में है। उसी स्थिति में आबंटन किया जावेगा।
8. भू–खण्ड लीज पर रहेगी व मण्डल के नियमानुसार निर्धारित लीजरेंट देय होगा।
9. भू–खण्ड हेतु नगर निगम/राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित अन्य सभी कर देय होगे।
10. भू–खण्ड का रख–रखाव स्वयं आबंटी द्वारा करना होगा।
11. भू–खण्ड में पंजीयन व्यय भी ऑफरकर्ता द्वारा व्यय करना होगा।
12. भू–खण्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन मण्डल की अनुमति के बिना वर्जित /अवैध रहेगा।
13. भू–खण्ड का उपयोग केवल शाला भवन प्रयोजन हेतु किया जावेगा है।
14. भू–खण्ड में किसी प्रकार के विवाद बाबत् आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं ऑफरकर्ता को मान्य होगा।
15. आबंटन होने के पश्चात् भू–संधारण शुल्क नियमानुसार एवं जल कर शुल्क प्रतिमाह मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर पर अतिरिक्त देना होगा।
16. भू–खण्ड की पूरी राशि जमा करने के बाद आबंटी को स्वयं के खर्चे से विक्रय पत्र निष्पादित करना होगा।
17. रिक्त भू–खण्ड के लिए उच्चतम ऑफर एक से अधिक आवेदकों से बराबर प्राप्त होने पर उच्चतम ऑफरकर्ता का चयन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।
18. एकमुश्त क्रय हेतु ऑफर स्वीकार होने पर ऑफर की संपूर्ण राशि 60 दिवस में जमा कर एवं रजिस्ट्री करने के पश्चात् आधिपत्य आदेश जारी किया जावेगा।
19. लीजरेंट, भू–संधारण व्यय, कॉलोनी हस्तांतरण सेवाकर तथा शासन/मण्डल/स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित कर शुल्क पृथक से देय होगें।

20. नियम शर्त एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय के दूरभाष क्रमांक ..... या संबंधित प्रक्षेत्र– ..... कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है।
21. अन्य प्रभार आबंटन आदेशानुसार अलग से देय है।
22. यदि समिति बंद अथवा विघटित हो जाती है या किसी अन्य कारणों से स्कूल का संचालन बंद कर देती है तो मण्डल द्वारा आबंटित भू–खण्ड अपने कब्जे में ले लिया जावेगा, जिसके लिए किसी प्रकार का मुआवजा देय नही होगा। ऑफर स्वीकृति होने के 60 दिवस के अंदर पूर्ण राशि मण्डल के खाते में जमा करनी होगी, अन्यथा स्वीकृति ऑफर निरस्त किया जा सकेगा एवं संपूर्ण राशि राजसात कर ली जाएगी।
23. समिति को उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त मण्डल में प्रचलित नियमों के अनुसार अनुबंध निष्पादन करना होगा।
24. भू–खण्ड आबंटन की शर्तो का उल्लघंन करने पर सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् गृह निर्माण मण्डल आयुक्त द्वारा लीज निरस्त की जा सकेगी।
25. इन नियमों की किसी कंडिका की विवेचना आवश्यक होने की अवस्था में मण्डल द्वारा की मुझे/हमें उपरोक्त दिशा निर्देश नियम शर्ते मान्य है।

हस्ताक्षर .....

संस्था का सील

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–.....

शिक्षण संस्थानों को भूमि आबंटन निर्देश

1. यह निर्देश छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनी में शिक्षण संस्थाओं के लिए आरक्षित भू–खण्डों के **"आबंटन निर्देश 2011"** कहे जोवगे।
    - इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा।
    - यह निर्देश मण्डल सम्मिलन में दी गई स्वीकृति की दिनांक से तथा वर्तमान तक समय–समय पर संशोधित प्रभावशील माने जावेगे।
2. इस निर्देश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, निम्नलिखित को छोड़कर निर्देश में अंकित शब्द अथवा शब्द समूह की वही परिभाषाऍ होगी, जैसा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम 1972 की धारा 2 में उल्लेखित है, लेकिन यह और भी कि, इस निर्देश में उल्लेखित शब्दों की परिभाषा निम्नानुसार होगी :–
    - शाला भवन हेतु आरक्षित भूमि से अभिप्रेत है गृह निर्माण स्कीम/भूमि विकास स्कीम के अंतर्गत शाला भवन हेतु आरक्षित भूमि।
3. **शाला हेतु आरक्षित विकसित भूमि/भवन के आबंटन :–** शाला हेतु आरक्षित भूमि / भवन निम्नलिखित संस्थाओं को आबंटित किए जा सकेगे।
    - संस्था के विभाग प्रमुख, कलेक्टर को भी प्रस्तावित शिक्षण संस्थाओं के लिए भूमि आबंटन प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजी जावें।
    - राज्य शासन के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्था अथवा शिक्षा विभाग।
    - आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्था अथवा आदिमजाति कल्याण विभाग।
    - शासन से मान्यता प्राप्त/पंजीकृत संस्थाऍ/शिक्षण संस्थाऍ।
4. **आवेदन एवं आबंटन प्रक्रिया :–**

    आवेदन एवं आबंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। :–
    - प्रथमतः संस्थाओं को आबंटित की जाने वाली भूमि का आफर शिक्षण संथा के विभाग प्रमुख, कलेक्टर को भूमि आबंटन प्रस्ताव भेजी जाने के साथ भूमि का आफर शिक्षा विभाग/शिक्षा अधिकारी आदिमजाति कल्याण विभाग/जिला संयोजक/ उपसंचालक/सहायक संचालक आदिमजाति कल्याण विभाग (जैसी भी स्थिति में) को दी जाएगी।
    - मण्डल की योजनाओं में शासन से मान्यता प्राप्त/पंजीकृत संस्थाऍ/शिक्षण संस्थाओं के लिए भूमि आबंटन के संबंध में मांगे गए प्रस्ताव दो माह समय अंतर्गत प्राप्त न हाने की दशा में ही निजी संस्थाओं को भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ की जावें।

- उपरोक्त कंडिका के अनुसार सहमति प्राप्त न होने की दशा में विकसित आरक्षित भूमि/भवन का विकास किए जाने स्थानीय स्तर पर निर्धारित प्रारुप में विज्ञप्ति संपत्ति अधिकारी/कार्यपालन अभिंयता द्वारा प्रसारित की जाकर भूमि आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त किए जावेगें। इस आमंत्रण में आफरदाता से दो प्रस्ताव प्राप्त किए जावेगे। प्रथम प्रस्ताव प्री–क्वालीफिकेशन हेतु तथा द्वितीय प्रस्ताव भू–खण्ड मूल्य के प्राप्त किए जावेगे। उक्त आफर में भू–खण्ड मूल्य का 15 प्रतिशत राशि का डी.डी. अलग से संलग्न देय होगा।
- दोनों तरह के प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे में स्वीकार किए जावें एवं लिफाफे के उपर स्पष्ट रुप से यह अंकित होना चाहिए कि प्रस्ताव ''प्री–क्वालीफिकेशन हेतु'' एवं '' न्यूनतम मूल्य से उपर ऑफर'' हेतु।
- जिन शासन से मान्यता प्राप्त/पंजीकृत संस्थाऍ/शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव प्री–क्वालीफाईड नही होगे भू–खण्ड मूल्य के उनके ऑफर (सीलबंद लिफाफे) बगैर खोले संबंधित संस्थाओं को संभाग द्वारा वापस किए जावेगे।
- विज्ञप्ति प्रसारित करने के पश्चात् भू–खण्ड/भवन के संबंध में निर्धारित अवधि में प्राप्त प्राप्त सभी आवेदन पत्र, संपत्ति अधिकारी/कार्यपालन अभियंता द्वारा गृह निर्माण आयुक्त की ओर अपनी अनुशंसा/ अभिमत के साथ प्री–क्वालीफिकेशन हेतु भेज जाएगें।
- प्री–क्वालीफिकेशन की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावेगा समिति प्राप्त आवेदनों के परीक्षण पश्चात् गृह निर्माण मण्डल आयुक्त को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।
- मुख्यालय द्वारा प्री–क्वालीफिकेशन में पात्र पाई गई शासन से मान्यता प्राप्त/पंजीकृत संस्थाऍ/शिक्षण संस्थाओं के प्राप्त भू–खण्ड मूल्य/दर के ऑफर संबंधित संभाग द्वारा खोले जावेगें। संभाग कार्यालय से मुख्यालय में प्राप्त ऑफरो में से उच्चतम ऑफर देने वाली संस्था का उच्चतम ऑफर मण्डल के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाकर निराकृत किया जा सकेगा।
- आबंटन के संबंध में गृह निर्माण मण्डल आयुक्त के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा। इसके लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर आबंटन का आदेश देते समय मुख्यतः निम्नानुसार प्राथमिकताक्रम पर विचार किया जावेगा :–
    - ✓ कलेक्टर राज्य शासन के शिक्षा विभाग प्रमुख द्वारा संचालित शिक्षण संस्था अथवा आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाऍ।
    - ✓ ऐसी प्रतिष्ठिान शिक्षण संस्थाएँ/समितियाँ जो श्रृखलाक्रम में अनेक शहरों में शिक्षण संस्थाऍ चला रही है।
    - ✓ शासन से मान्यता प्राप्त/पंजीकृत संस्थाऍ/शिक्षण संस्थाऍ।

5. **आवेदन पत्र के साथ संस्थाओं द्वारा संलग्न किए जाने वाले प्रमुख अभिलेख :–**

- संस्था रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी के कार्यालय से पंजीकृत हो तथा आवेदन के साथ पंजीयन अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की गई हो।
- शिक्षा विभाग से शैक्षणिक गतिविधियों की मान्यता प्रमाण पत्र यदि संस्था पूर्व से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत है। यदि संस्था नवीन रुप से शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य करना चाहती है, तो भूमि आबंटन पश्चात् 60 दिवस की समयावधि में अनिवार्य रुप से शिक्षा विभाग में पंजीयन एवं मान्यता प्राप्त कर शैक्षणिक कार्य करना होगा।
- आवेदन के साथ आवेदक शासन से मान्यता प्राप्त/पंजीकृत संस्था के शिक्षण संस्था की उपविधियॉ, आरक्षित विकसित भू–खण्ड प्राप्त किए जाने हेतु गर्वनिंग बाडी/कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ संलग्न की गई हो।
- यदि संस्था पूर्व से कार्यरत है तो आवेदन के साथ संस्था की वित्तीय स्थिति बाबत् पिछला समाप्त हुआ अधिकतम 3 वित्तीय वर्ष का आडिटेड बैलेंसशीट अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

6. **विकसित भूमि का प्रीमियम :–**

- शासन से मान्यता प्राप्त/पंजीकृत संस्थाऍ/निजी शिक्षण संस्थाओं को मण्डल की विकसित कॉलोनियों में जो शाला भू–खण्ड आबंटित की जावेगी उसका दर निम्नानुसार निर्धारित की जावेगी :–

  अ) आबंटन हेतु प्रस्तावित शाला भू–खण्ड के प्रथम 1000 वर्ग मी. का मूल्य उस कॉलोनी में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जनता भू–खण्ड) हेतु जो प्रचलित दर से उसका 50 प्रतिशत की दर से मूल्यांकन कर लिया जाएगा।

  ब) इसके पश्चात् 1001 वर्ग मी. से 5000 वर्ग मी. तक की भूमि के मूल्यांकन की गणना उसी कालोनी में जनता भू–खण्ड हेतु जो प्रचलित दर ली जाती है, उसका 25 प्रतिशत लिया जाएगा।

  स) उपरोक्त के अतिरिक्त 5001 वर्ग मी. से 20000 वर्ग मी. तक की भूमि का मूल्यांकन उसी कॉलोनी के जनता भू–खण्ड हेतु जो प्रचलित दर ली जाती है, उसका 12.50 प्रतिशत गणना की जाकर लिया जाएगा।

  द) इस प्रकार सामान्यतः 20000 वर्ग मी. तक की ही भूमि शैक्षणिक प्रयोजन हेतु आबंटित की जाएगी। यदि इससे अधिक भूमि आबंटित की जाती है, तो इस अधिक भूमि का मूल्यांकन उसी कॉलोनी में प्रचलित जनता भू–खण्ड का दर लिया जाकर वसूला जाएगा।

- संस्था को प्रीमियम के अतिरिक्त मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशानुसार वार्षिक भू–भाटक/ग्राउण्ड रेट/सार्वजानिक क्षेत्रों का संधारण शुल्क जमा करना होगा।

7. **भू–खण्ड आबंटन की शर्ते :–**

भू–खण्ड आबंटन की शर्ते निम्नानुसार होगी :–

- संस्था हेतु आबंटित भू–खण्ड में संचालित होने वाले शासन से मान्यता प्राप्त/पंजीकृत संस्थाऍ/शिक्षण संस्थाओं पर शासन द्वारा लागू ''निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार'' अधिनियम 2009 लागू होगा इस अधिनियम में समय–समय पर राज्य शासन द्वारा किए गए संशोधन तथा मण्डल द्वारा जारी निर्देश/निर्णय मान्य होगा।
- उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 01 के अतिरिक्त शिक्षण संस्था जिस कालोनी में स्थित है। उस कालोनी में निवासरत निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के रहवासियों के बच्चों के लिए 10 प्रतिशत सीट आरक्षित रखकर प्रवेश निःशुल्क तथा शैक्षणिक शुल्क भी निःशुल्क होगा।
- अति पिछड़ा जनजाति के न्यूनतम 5 बच्चों को प्रत्येक वर्ष प्रवेश निःशुल्क देना होगा एवं इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी संपूर्ण रुप से निःशुल्क संबंधित स्कूल में चालू अंतिम कक्षा तक उपलब्ध कराना होगा। यदि छात्रावास हो तो उसमें भी निःशुल्क प्रवेश उपलब्ध कराना होगा।

  जैसे :– प्रथम वर्ष में न्यूनतम 5 बच्चे, द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 5 बच्चे, तृतीय वर्ष में न्यूनतम 5 बच्चें तदानुसार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 5 बच्चों को प्रवेश देना होगा।
- भू–खण्ड का आबंटन संस्था के नाम पर होगा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहो के नाम पर नही।
- भू–खण्ड का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात् शाला भवन /शाला संचालन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जावेगा।
- भू–खण्ड संस्था द्वारा न किसी को बेचा जावेगा न किसी भी प्रकार से हस्तांतरित किया जावेगा।
- संस्था को भूमि लीज पर दी जाएगी जिस पर नियमानुसार लीज रेट लिया जावेगा।
- **अ)** समिति को आबंटन दिनांक से 6 माह के भीतर शाला भवन के लिए ले–आउट/ड्राईंग पास कराकर निर्माण प्रारंभ करना होगा ऐसा नही करने पर 15 प्रतिशत राशि काट कर बिना ब्याज के राशि वापस की जावेगी।

  ब) शाला भवन हेतु ले–आउट पास होने के बाद शाला भवन का निर्माण 1 वर्ष में शुरु करना होगा। अन्यथा प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत राशि काटकर जमा राशि बगैर ब्याज के वापस की जावेगी।

  स) शाला भवन हेतु 1 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 3 वर्ष के भीतर शाला भवन/इंस्टीट्यूट तैयार कर शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करना होगा।

द) अधिकतम 1 वर्ष की समयावृद्धि के लिए मण्डल प्रीमियम राशि का 15 प्रतिशत तक दण्ड अधिरोपित करते हुए मण्डल अनुमति दे सकेगा लेकिन किसी भी दशा में भवन निर्माण हेतु दी गई कुल अवधि अनुबंध निष्पादन की तिथि से चार वर्ष से अधिक नहीं होगी अन्यथा जमा सम्पूर्ण राशि राजसात हो जावेगी।

- पंजीकृत संस्थाओं/निजी शिक्षण संस्थाओं को भूमि आबंटित किए जाने की अवस्था में, यह सुनिश्चित किए जाने कि संस्था वित्तीय दृष्टिकोण से सक्षम है तथा वह शिक्षण संस्था के लिए ही भूमि प्राप्त कर रही है एवं निर्धारित अवधि में शाला भवन निर्माण हेतु इच्छुक हैं, नियमानुसार बैंक गारंटी मण्डल में जमा करानी होगी। यह बैंक गारंटी संस्था द्वारा प्रस्तावित भवन निर्माण का 50 प्रतिशत अंश करा लेने पर मुक्त की जा सकेगी।

शिक्षण संस्थाएं	**राजधानी हेतु**	**अन्य शहर,जहां नगर निगम कार्यरत है**	**अन्य शहर जहां नगरपालिका/नगर पंचायत कार्यरत है**	**अन्य स्थान**
उच्च.माध्य विद्यालय,	5 लाख	3 लाख	2 लाख	1 लाख
माध्यमिक विद्यालय,	3 लाख	2 लाख	1 लाख	50 हजार
प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी स्कूल	1.75लाख	1 लाख	50 हजार	25 हजार

- (बिन्दु कं0–08 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अवधि में निर्माण पूर्ण न किए जाने की अवस्था में भूमि स्वतः ही मण्डल में निहित हो गई मानी जाएगी तथा सम्पूर्ण राशि राजसात हो जावेगी।
- समिति के द्वारा आवेदन करने पर मण्डल द्वारा भवन निर्माण हेतु प्रकरण की विशेष परिस्थिति को देखते हुए बोर्ड द्वारा समय में उचित वृद्धि किया जा सकेगा लेकिन किसी भी दशा में भवन निर्माण हेतु दी गई कुल अवधि अनुबंध निष्पादन की तिथि से चार वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- आबंटित भूखण्ड का पूर्ण प्रीमियम प्राप्त होने के पश्चात् ही लीज प्रपत्र निष्पादन किया जाएगा।
- यदि समिति बन्द अथवा विघटित हो जाती है या किसी अन्य कारणों से स्कूल का संचालन बन्द कर देती है, तो मण्डल द्वारा आबंटित भवन/भूखण्ड अपने कब्जे में ले लिया जावेगा, जिसके लिए किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
- स्कूल के नामकरण की अनुमति गृह निर्माण मण्डल से लेना होगा।

- स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा मैनेजमेंट कमेटी में गृह निर्माण मण्डल के आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि सदस्य होगा।
- स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा को एक पटल पर अंकित कर सुलभ स्थान में दर्शित करना होगा।
- समिति को उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त मण्डल में प्रचलित नियमों के अनुसार भवन/भूखण्ड का अनुबंध निष्पादन करना होगा।

8. भवन/भूखण्ड आबंटन की शर्तों का उल्लंघन करने पर सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् गृह निर्माण मण्डल आयुक्त द्वारा लीज निरस्त की जा सकेगी।
9. इन नियमों की किसी कण्डिका की विवेचना आवश्यक होने की अवस्था में तदानुसार मण्डल द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–.....